न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आरए.एस

प्रकरण सं. 5/ 2021 (खा.सु.अ 2006 नियम 2011) राज0 सरकार बनाम चेतन कुमार राठोर

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2021/0026)

चंद्रवीरसिंह जादौन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़

सायल......

बनाम

चेतन कुमार राठोर पुत्र शिवप्रसाद राठौर जाति तेली निवासी राठोर समाज मंदिर के पास झालावाड़ रोड़ खानपुर जिला झालावाड (विक्र

गैरसायल...

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(11)5एफएसएसए एक्ट 2006 नियम 2011

उपस्थित :

1 सायल की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी

2 गैर सायल स्वंय

निर्णय

दिनांक 26.02.2021

1 यह इस्तगासा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने पर चेतन कुमार राठोर पुत्र शिवप्रसाद राठौर जाति तेली निवासी राठोर समाज मंदिर के पास झालावाड़ रोड़ खानपुर जिला झालावाड के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु न्यायालय में पेश किया गया है।

2 वाक्यात आवेदन निम्नप्रकार है कि चन्द्रवीर सिंह जादौन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशनक्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन2011/ 440 दिनांक 26.07.2011 के अनुार खाद्या सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है, श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन [illegible]) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज0 जयपुर के आदेश दिनांक [illegible].10.2019 के [illegible] मुझे अतिरिक्त कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ आवंटित किया गया है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:54:20 IST
Reason: SelfAttested

झालावाड़ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियॉं न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

3 आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन मे आगे वर्णित किया गया कि दिनांक 28.02.2020 को समय 3.00 पीएम पर श्री चेतन कुमार राठौर निवासी पुत्र श्री शिवप्रसाद राठोर जाति निवासी राठौर समाज मंदिर के पास झालावाड़ रोड़ खानपुर जिला झालावाड़ (विक्रेता एवं मालिक) का निरीक्षण किया जहॉं पर श्री चेतन कुमार राठौर नमकीन (बेसन, मसाले एवं रिफाइण्ड सरसों तेल से बनी)का उपयोग आमजन को बिक्री हेतु कर रहे थे। उनको अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु नमकीन (बेसन, मसाले एवं रिफाइण्ड सरसों तेल से बनी) जो कि एक कॉंच के बोक्स में करीब 5–6 किलोग्राम रखी हुई थी में मिलावट का शक होने पर उसमें से विक्रेता से 2 किलो ग्राम वास्ते नमूना जॉंच हेतु खरीद की जिसकी कीमत विक्रेता को रू0 260/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थिति गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रतियॉं एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खरीद शुद्वा खाद्य पदार्थ नमकीन (बेसन, मसाले एवं रिफाइण्ड सरसों तेल से बनी) को अलग–अलग चार भागों में बांटकर चारें अलग–अलग कॉंच की गोल साफ–सुथरी शिशियों में डालकर तथा प्रत्येक शिशि में फॉर्मोलिन की 40–40 बून्द डालकर चारें को मजबूत ढक्कनों से बन्द किया तथा प्रत्येक पर विक्रेता एवं गवाहान के समक्ष लेबल तैयार कर के प्रत्येक भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डीओ के कोड क्रमांक वी 998 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारें नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ झालावाड़ की हस्ताक्षरशुद्वा पेपर स्लिप नं0 वी 998 नियमानुसार चारें नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें, चारें नमूना लेकर चारें नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया ओर कार्यालय पहुॅंच कर फार्म सं0 6 की 6 प्रतियॉं तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक कोआ को जमा करा कर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है, शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 की दो प्रतियों [illegible] बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी0ओ0 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

4 डी0ओ0 एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ के पत्र क्रमांक एफएसएसएस/2020/168 दिनांक 04.06.2020 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉंच रिपोर्ट नं0 110/पीएचएल/कोटा/एक्ट /2020/195 दिनांक 16.04 2020 का अध्ययन करने पर अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) पाया गया है। जॉंच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। श्रीमान अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:54:20 IST
Reason: SelfAttested

एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ नें पत्र कमांक/एफएसएसए/2021/006 दिनांक 13.01.2021 के द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ के समक्ष न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। इसी के साथ निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में गैरसायल ने खाद्य पदार्थ नमकीन (बेसन, मसाले एवं रिफाइण्ड सरसों तेल से बनी) का निर्माण एवं विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित्त है।

5 इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं नोटिस मे नियत दिनांक एवं समय पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। गैर सायल द्वारा निर्धारित्त दिनांक को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर अपनी मौखिक बहस में अनुरोध किया गया कि उसके द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन (बेसन, मसाले एवं रिफाइण्ड सरसों तेल से बनी) का निर्माण किया गया था। अब भविष्य में इस की पुनरावृति नही होगी जुर्म स्वीकार करता हूँ लोक अदालत की भावना से नरमी का रूख अपना कर कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण फरमावें।

6 पेशेकार सरकार द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्य की पुष्टि मे संलग्न किये गये दस्तावेजो की ओर ध्यान आकर्षित करते हुऐ कथन किया कि गैरसायल द्वारा खाद्य पदार्थ नमकीन (बेसन, मसाले एवं रिफाइण्ड सरसों तेल से बनी) सबस्टेण्डर्ड का विक्रय किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से साबित होता है। आवेदन किये जाने हेतु पदाभिहित अधिकारी से प्राप्त लिखित प्राधिकार भी आवेदन के साथ सलग्न किया गया है। गैर सायल से अवमानक खाद्य पदार्थ नमकीन (बेसन, मसाले एवं रिफाइण्ड सरसों तेल से बनी) सबस्टेण्र्ड के नमूने लिये जाने की कार्यवाही से संबधित दस्तावेज भी आवेदन के साथ सलग्न किये गये है। उक्त सभी दस्तावेजो से साबित होता है कि गैरसायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ नमकीन (बेसन, मसाले एवं रिफाइण्ड सरसों तेल से बनी) सबस्टेण्र्ड का भण्डारन एवं विक्रय किया गया है। अतः इस्तगासा स्वीकार फरमाया जाकर गैर सायल को ज्यादा से ज्यादा जुर्माने से दण्डित किया जावे ताकि आम जनता को बेचान हो रहे सबस्टेण्र्ड खाद्य पदार्थ पर अंकुश लग सके।

7 हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 सायल द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजी साक्ष्यो से होती है। इसी के साथ गैर सायल द्वारा अपने अभ्यावेदन/ जवाब मे अपराध को स्वीकार किया गया है, जिससे गैरसायल द्वारा अवमानक नमकीन (बेसन, मसाले एवं रिफाइण्ड सरसों तेल से बनी) सबस्टेण्डर्ड का विक्रय किया जाना सन्देह से परे साबित होता है। गैरसायल का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए जुर्माने का दण्ड अधिनियम की धारा 51 में प्रावधानित किया गया है। उपरोक्त प्रावधान को मददेनजर रखते हुए गैर सायल चेतन कुमार पुत्र शिवप्रसाद राठौर जाति तेली निवासी राठोर समाज मंदिर के पास झालावाड़ रोड खानपुर जिला झालावाड को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, परन्तु गैरसायल द्वारा अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:54:20 IST
Reason: SelfAttested

अपराध स्वीकार करने एवं भविष्य में ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति न करने हेतु आश्वस्त किये जाने पर गैरसायल के पक्ष में नरमी का रूख अपनाते हुये 100000/– अक्षरे एक लाख रूपये के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार उक्त राशि वसूली की कार्यवाही कर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

9 निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dataram
Date: 2021.03.03 10:54:20 IST
Reason: SelfAttested